№ 012941

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 1840

वर्ष 2009-10.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि " ब्लैक डायमण्ड कल्याण संस्थान "
ग्राम - गादी कटौना , पो०- कटौना , जिला- जमुई (बिहार).

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ हुई ।

आज तारीख दस मास नवम्बर वर्ष दो हजार नौ को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

"संस्था निबंधन अधिनियम, 21, 1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। इसे संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण नहीं समझा जाना चाहिए। संस्था को वित्तिय सहायता के प्रयोजन हेतु भी इस प्रमाण-पत्र को अनुशंसा नहीं माना जाए।"

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

पत्र संख्या–बी०एस० 3–10–2505/09. / 2448

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय, बिहार।

(दाखिल करने का प्रमाण–पत्र)

ब्लेक डायमण्ड कल्याण संस्थान.

....

....

....

.... के संबंध में।

पटना, दिनांक– 10/11/2009

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के उपबंधों के अनुसार यथावत दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया/किये गये है।

फीस का ज्ञाप रू० 50/– (पचास रूपये) मात्र।
संस्था का स्मृति–पत्र/नियमावली एवं आम सभा के प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

10.11.09

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सचिव/अध्यक्ष

ब्लेक डायमण्ड कल्याण संस्थान
ग्राम-गादी कटौना, पो०-कटौना,
जिला- जमुई (बिहार).

की सेवा में उनके पत्र संख्या– —— दिनांक– 30.10.09. के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न है। प्राप्ति की सूचना दें।

10.11.09

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ब्लेक डायमण्ड कल्याण संस्थान

का

स्मृति-पत्र

1. **संस्था का नाम** :- इस संस्था का नाम **ब्लेक डायमण्ड कल्याण संस्थान** होगा ।

2. **निबंधित कार्यालय** :- इस संस्था का निबंधित कार्यालय - ग्राम:- गादी कटौना पो0- कटौना , थाना- बरहट, जिला:- जमुई (बिहार) में रहेगा । यदि निबंधित कार्यालय के पता में कोई परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन महानीरिक्षक, बिहार पटना को दी जाएगी ।

3. **कार्यक्षेत्र** :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।

4. **उद्देश्य** :- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे ।

1. समाज के गरीब, असहाय,, विकलांग, दलित, अल्पसंख्यक, अनाथ बबच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विधवा एवं परित्यक्ता महिला. के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिणक उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं से उन्हें लाभान्वित कराने का प्रयास करेगी ।

2. ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए एवं बच्चों, युवाओं, युवतियों तथा गरीब लोगों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, पठन-पाठन कक्ष, अनाथालय, विद्यालय,महाविद्यालय, चिकित्सालय, तकनिकी शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन करेगी तथा जन-जन को साक्षर बनाने का प्रयास करेगी । गरीब एवं मेघावी छात्र-छात्राओं को पुस्तक एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करेगी ।

3. समाज में व्याप्त अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, जातिवाद, धर्मान्ता, आतंकवाद, शोषण, [redacted], नशाखोरी, औषधि दुरूपयोग, हत्या बलात्कार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, सामाजिक अपराध दहेज प्रथा बाल श्रमिक, महिला श्रमिक तथा अन्य सामाजिक कुरितियों के निराकरण हेतु जन चेतना का विकास करेगी तथा सभा, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, आदि का आयोजन कर जागरूकता का विकास करेगी ।

4. स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करेगी । प्राथमिक स्वास्थ्य सह उपचार केन्द्र, आरोग्यशाला, परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर, मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर एवं अन्य शिविर का संचालन कर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना।

मिलान किया

5. असाध्य रोग यथा एड्स/एच.आई.वी. कैंसर, कालाजार, कुष्ठ, हेपेटाइटिस बी, एवं अन्य संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना तथा पीड़ित व्यक्तियों के लिए आवश्यक चिकित्सा, दवा, स्वास्थ्य सेवा तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा सभा, गोष्ठी, पद यात्रा,रैली आदि के माध्यम से रोकथाम एवं उन्मूलंन के लिए कार्य करेगी। साथ ही साथ मूक, वधिर, नेत्रहीन, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों, व्यस्कों महिलाओं के लिए चिकित्सा, पूनर्वास एवं कृत्रिम अंग की व्यवस्था कराने का हर संभव प्रयास करना।

6. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए शिक्षा के विभिन्न कार्यकमों का आयोजन करना, समय–समय पर शैक्षणिक विकास,साक्षरता कार्यकमों का संचालन कर आम जनता का,ग्रामीण बच्चों एवं बालिकाओं को लाभान्वित कराने का प्रयास करना, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना लड़कियों के शिक्षा की विशेष व्यवस्था कराना एवं साक्षरता कार्यकम का संचालन करना ।

7. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कटाई, कढ़ाई, बुनाई, एप्लीक निर्माण, गुड़िया निर्माण, लघु उद्योग, कुटिर उद्योग, हस्त कला, शिल्प कला, मूर्ति कला, गृह उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, चर्म उद्योग, साबुन उद्योग, सर्फ उद्योग, पशुपालन आदि का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना तथा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करना ।

8. शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम्प्यूटर, सौफ्टवेयर, हार्डवेयर, ईलेक्ट्रोनिक्स, ईलेक्ट्रीकल्स, रेडियो, टेलिविजन, मोबाईल, पंखा, कुलर, आशुलिपिक, टंकण कला, पेंटिंग, सौन्दर्य प्रसाधन आदि का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना।

9. लोगों को स्वच्छता के महत्व की जानकारी देना ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय, कम लागत के आवास शुद्ध पेयजल की सुविधा ग्रामीण सड़कों का निर्माण आवागमण की सुविधा, नालियों की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संचालन कर लोगों को लाभान्वित कराने का प्रयास करना।

10. पर्यावरण को प्रदुषण मुक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करना, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना तथा गैर पारम्परिक उर्जा के बारे में जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

11. महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी, बच्चों के विकास के लिए बालवाड़ी, पालना घर एवं स्वयं सहायता समूह का संचालन करना, जानकारी देना तथा कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जागरूकता का विकास करना।

मिलान किया

12. कृषि के विकास के लिए कृषकों को उन्न्त खाद, बीज, कृषि के आधुनिक औजार सिंचाई की सुविधा हेतु बोरिंग, चापाकल, नल कूप की व्यवस्था कराना तथा असिंचित क्षेत्रों में जल–छाजन कार्यक्रम का संचालन करना।

13. कला एवं सास्कृतिक के विकास के लिए नृत्य, संगीत, वाद्ययंत्र आदि के माध्यम से कला काप्रचार–प्रसार करना, शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। महिला कलाकार बाल कलाकर एवं युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं सांस्कृतिक कार्यकम का सचालन करना।

14. बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़, आगजनी तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य का संचालन करना तथा पीड़ितों की सेवा करना।

15. मानवाधिकार अधिकार की रक्षा के लिए जागरूकता का विकास करना, लोगों को मानवाधिकार के बारे में जानकारी देना तथा सभा, गोष्ठी, कार्यशाला के माध्यम से जागरूक करने का हर संभव प्रयास करना तथा मानवाधिकार सुरक्षा विकास कार्यकम का संचालन करना ।

16. समय–समय पर पत्र–पत्रिका ,समाचार पत्र ,रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से सम–सामयकि घटनाओं की ग्रामीण लोगों को जानकाकरी देना, प्रकाशन करना तथा स्मारिका आदि का विमोचन कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना एवं मानवाधिकार के बारे में भी जानकारी देना ।

17. राष्ट्रीय सद्भावना कार्यकम का संचालन करना, महापुरूष की जीवनी एावं उनके उपदेशों को जन–जन तक पहुँचाना बच्चों एवं युवाओं को महापुरूष की जीवनी से अवगत कराना तथा उनके आदर्शो पर चलने के लिए मार्गदर्शन करना ।

18. समाज में रह रहे पत्रकार, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों , साहित्यकारों, लेखकों, कवियों तथा इतिहासकारों एवं समाजसेवियों को सम्मानित करना ,प्रसस्ती पत्र देना तथा उनके कला शौली को राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सामिल कराने का प्रयास करना ।

मिलान किया

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम , पिता /पति का नाम पता जीविका के साधन एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है वर्तमान के स्मृति पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी है।

	नाम पिता/पति का नाम	पता	जीविका का साधन	हस्ताक्षर
.	धुब कुमार सिंह पिता :– स्व० दामोदर प्रसाद सिंह	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	अधिवक्ता	DKSingh
2.	अनिल कुमार सिंह पिता :– स्व० दामोदर प्रसाद सिंह	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	व्यपार	[signature]
3.	गोपाल कुमार गौतम पिता :– स्व० खिरु दास	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	कृषि	गोपाल कुमार गौतम
4.	पंकज कुमार सिंह पिता :– स्व० गणेश प्रसाद सिंह	ग्राम – बाबू टोला महिसौड़ी पो० – जिला – जमुई	कृषि	पंकज कुमार सिंह
5.	महाविर सिंह पिता :– चंद्रशेखर सिंह	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	कृषि	Mahavir Singh.
6.	धर्मेन्द्र कुमार झा पिता :– श्री वीरेन्द्र झा	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	कृषि	[signature]
7.	रंजित कुमार मंडल पिता :– कृष्णदेव मंडल	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	कृषि	रंजीत कुमार मंडल
8.	कमल लता सोनी पिताः–कमलेश शर्मा	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	प्रधानाचार्य	Kamal

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ।

मिलान किया

हस्ताक्षर:-

पद :-

पता :-

Dr. S. N. Jha
Civil Asst. Surgeon
Reg. No-15142

नलिखित व्यक्ति जिनका नाम , पिता /पति का नाम पता जीविका के साधन , शैक्षणिक पता एवं पदनाम नीचे दिया गया
वर्त्तमान कार्यकारिणी के सदस्य है , जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है।

क्र०	नाम पिता/पति का नाम	पता	जीविका का साधन	शैक्षिणिक योग्यता	पदनाम
1.	ध्रुब कुमार सिंह पिता :– स्व० दामोदर प्रसाद सिंह	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	अधिवक्ता	B.A/LLB	अध्यक्ष
2.	अनिल कुमार सिंह पिता :– स्व० दामोदर प्रसाद सिंह	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	व्यपार	B.E Engg.	सचिव
3.	गोपाल कुमार गौतम पिता :– स्व० खिरु दास	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	कृषि	B.A	कोषाध्यक्ष
4.	पंकज कुमार सिंह पिता :– स्व० गणेश प्रसाद सिंह	ग्राम – बावू टोला महिसौड़ी पो० – जिला – जमुई	कृषि	B.A, B.Ed.	सदस्य
5.	महाविर सिंह पिता :– चंद्रशेखर सिंह	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	कृषि	B.A	सदस्य
6.	धर्मेन्द्र कुमार झा पिता :– श्री वीरेन्द्र झा	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	कृषि	B.A, B.Ed.	सदस्य
7.	रंजित कुमार मंडल पिता :– कृष्णदेव मंडल	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	कृषि	B.A	सदस्य
8.	कमल लता सोनी पिताः– कमलेश शर्मा	ग्राम – गादी कटौना पो०– कटौना थाना –मलयपुर जिला – जमुई	प्रधानाचार्य	MA/M.Ed.	सदस्य

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ।

मिलान किया

हस्ताक्षरः–

पद :–

पता :–

Dr. ...
Civil Asst. Surgeon
Reg. ...

ब्लेक डायमण्ड कल्याण संस्थान
की
नियमावली

1) **संस्था का नाम** : **ब्लेक डायमण्ड कल्याण संस्थान**

2) **परिभाषा**

क) संस्था से अभिप्राय है	:	**ब्लेक डायमण्ड कल्याण संस्थान**
ख) समिति से अभिप्राय है	:	संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है	:	अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
घ) वर्ष से अभिप्राय है	:	1 ली अप्रैल से 31 मार्च तक ।
ड) ऐक्ट से अभिप्राय है	:	सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 ।

3) **सदस्यता** :

क) कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हों एवं संस्था के प्रति निष्ठा रखते हों वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहत प्रपत्र मे आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकूति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 100/–रूपये प्रवेश शुल्के एव 10/–रू0 मासिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

4) **सदस्यता की समाप्ति** :

निम्न परिस्थितियों में संस्था से सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी :

क) स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
ख) पागल या मृत्यु होने पर ।
ग) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
घ) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
छ) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
ज) विना कारण बताये समिति की लगतार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।

5) **कायकारिणी समिति का गठन** :

क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 7(सात) सदस्य होंगे ।
ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा किया जायेगा
ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षो का होगा ।
घ) यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनित कर सकती है। लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव कराना होगा । मनोनित सदस्य उसी पद के अनुरूप कार्य करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया हो।

मिलान किया

6) **पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :**

अध्यक्ष :

क) संस्था की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख) किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष या विपक्ष में समान मत आने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

ग) कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना ।

सचिव :

क) प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख) बैठक कीकार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ड) संस्था के आय–व्यय का अंकेक्षण कराना ।

च) अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना ।

छ) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी समिति के सलाह पर करना।

ज) संस्था के हित में कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष :

क) संस्था के आय–व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग) आकस्मिक खर्च के लिए अपने पास 1000/–रु0 तक रखना तथा विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य सम्पादित करना ।

घ) संस्था के कोष को किसी निबंधित बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा करना ।

7) **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :**

क) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति का उत्तरदायी होगा ।

ख) संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

ग) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य सम्पादित करना ।

घ) उपशाखा का निर्माण करना ।

ड) संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु विचार–विमर्श करना ।

च) संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रणों को बरकरार रखना ।

छ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

मिलान किया

15) <u>निधि का अंकेक्षण</u> :

क) संस्था के आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रत्येक वर्ष निधि का अंकेक्षण कराया जायेगा ।

ख) निबंधन महानिरीक्षक चाहें तो अपने विवेक से संस्था की निधि का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त अंकेक्षक से करा सकते हैं और इस हेतु अंकेक्षक का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

16) <u>पंजी का निरीक्षण</u> :
संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेंगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

17) <u>नियमावली में संशोधन</u> :
नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

18) <u>कानूनी कार्रवाई</u> :
संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

19) <u>विघटन एवं विघटनोपरांत सम्पत्ति की व्यवस्था</u> :

क) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा-13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ख) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ग) संस्था के विघटनोपरांत जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बाँटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था को या सरकार को दे दी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव